न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

46 / 2024

श्री राधेश्याम मून्दडा पुत्र प्रहलाद दास मून्दडा (महाजन) निवासी ग्राम व पोस्ट घाड तहसील दूनी जिला टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी जिला टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 01.10..2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी को आवेदन पत्र दिनांक 02.07.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

आवेदन के साथ संलग्न पट्टा शशि भूषण गौतम पुत्र बद्री नारायण शर्मा (ब्राह्मण) निवासी घाड वार्ड नं. 5 संकल्प संख्या 5 दिनांक 20 मार्च 2012 को रसीद संख्या 12 दिनांक 31 मार्च 2012 को 200 जमा कर पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया था। दिनांक 22 मई 2012 को बुक संख्या 5233 की रसीद संख्या 87 से 222 रूपये जमा कर पंजिकरण किया गया था। आवेदन के साथ रसीद वह पट्टे की कोपी प्रस्तुत कर उक्त मकान कितने नम्बर पर बना हुआ है वह जमीन की किस्म क्या है। सर्च रिपोर्ट बनाई हो उसकी कॉपी भी देवे। उक्त सूचना मुझे अन्दर मियाद उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी को पत्र कमांक 1189 दिनांक 22.08.2024, पत्र कमांक 1330 दिनांक 10.09.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी ने पत्र कमांक 112 दिनांक 10.09.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में अपीलार्थी को पत्र कमांक आरटीआई/2024/97 दिनांक 19.07.2024 से सूचित किया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)